निर्णय बइजलास (लोक अदालत) श्री के.आर.चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 9/2015 अ.ना.क. निर्णय दिनांक :– 07.02.2019

अनवान

1. श्रीमती कंकूबाई पुत्री रामा पत्नी रेमता गुर्जर निवासी पीतामपुरा हाल निवासी हीरा खेड़ा तहसील देवगढ़

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील देवगढ़
2. ग्राम पंचायत दौलपुरा (पूर्व ग्राम पंचायत मदारिया) जरिये सरपंच मुकाम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद

———रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध ना0क0स0ं 43 सन् 58 दिनांक 29.05.1959 ग्राम पीतामपुरा तह0 देवगढ़

अपीलान्ट की अपील संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुई कि अपीलान्ट के पिता रामा पिता वरदा गुर्जर आदि निवासी पीतामपुरा के खातेदारी की जमाबन्दी अनुसार खा.नं. 7 खसरा सं. 53 किता 31 रकबा 53 बीघा व जमाबंदी खाता सं. 59 आ.नं. 145 रकबा 2 बिस्वा आ.चा. जिसमें रामा पिता वरदा वगैरह का हिस्सा 1/2 है। अपीलाण्ट कंकूबाई पुत्री रामा गुर्जर आयु 50 वर्ष निवासी पीतामपुरा के पिता रामा पिता वरदा गुर्जर का देहान्तसान सन् 58 में हो गया इसके बाद अपीलाण्ट के काका प्रताप व देवा पिता वरदा ने दिनांक 29.05.1959 को सरकारी अधिकारी से मिली भगत कर विरासत से जो नामान्तकरण खुलवाया उसमें केवल प्रताप व देवा का ही नाम दर्ज करा दिया तथा रामा की पुत्री अपीलाण्ट का नाम नामान्तकरण पारित करते समय नही लिखवाया जिससे रामा की विरासत से प्रताप व देवा पिता वरदा गुर्जर निवासी पीतामपुरा के नाम दर्ज हो गई। वादीया के पिता की सन् 1958 में मृत्यु हो गयी उसके बाद अपीलाण्ट की शादी हो जाने वह उसके ससुराल हीरा खेड़ा चली गई अपीलाण्ट उसके पिता की एक मात्र संतान व उत्तराधिकारी है अपीलाण्ट के काका प्रताप व देवा पिता वरदा ने मृतक रामा के कोई औलाद नही होना बताकर अपीलाण्ट के पिता की विरासत से नामन्तरण दोनो भाईयों प्रताप व देवा के नाम करवा लिया। अपीलाण्ट अपने ससुराल में रहती थी व पीहर में आती जाती रहती थी और खेती बाड़ी की देखरेख करती थी उक्त आराजियात शामलाती खाते में चलती आई है कि दिनांक 11.09.2015 को अपीलाण्ट ने

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

जमीन के रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो मालूम हुआ कि उक्त वादी के पिता की खातेदारी भूमि में विरासत से अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही हुआ। अपीलाण्ट को ससुराल में रहने से उक्त विरासत से खोले गये नामान्तरण की जानकारी नही रही थी अपीलाण्ट अशिक्षित महिला अपीलाण्ट को ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण के समय कोई सूचना नही दी जिससे अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरण की कोई जानकारी नही रही तथा पक्षकारों को विधिवत सूचना नही देने के कारण उक्त खोला गया नामान्तरण अपीलाण्ट के विरूद्ध अवैध एवं प्रभाव शून्य है तथा उक्त नामान्तरण में सूचना के अभाव एवं नामान्तरण शून्य होने से अपीलाण्ट के विरूद्ध इस अपील में मियाद कानून का कोई असर नही है फिर भी अपीलाण्ट अपनी सुविधा के लिये मियाद माफी प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह अपील पेश करना चाहती है। अपीलाण्टग्रस्त आराजी ग्राम पितामपुरा तह0 देवगढ़ जिला राजसमंद में स्थित होने एवं नामान्तरण ग्राम पंचायत मदारिया द्वारा पारित करने से इस न्यायालय को श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पीतामपुरा तह0 देवगढ़ अपील ना0क0स0ं 43 सन् 58 दिनांक 29.05.1959 को निरस्त कराया जावें तथा उक्त वर्णित मृतक रामा पिता वरदा की सम्पूर्ण आराजियात में अपीलान्ट का नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को मय अपील के सम्मन जारी किये गये। प्रत्यत्तर में रेस्पोडेन्ट सं 01 व 02 को सम्मन तामिल किये गये रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपना जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। न्यायालय द्वारा मृतक रामा पिता वरदा के वारिसान की संयुक्त जांच पटवारी हल्का दौलपुरा एंव सचिव ग्राम पंचायत दौलपुरा से करवायी जो मय मौका परचा संयुक्त वारिसान जांच रिपोर्ट व वारिसान प्रमाण पत्र पेश हुए जो विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ़ से प्रमाणित शुदा है जो पत्रावली पर है जांच रिपोर्ट में पाया गया कि मृतक रामा पिता वरदा की एक मात्र जाईन्दा सन्तान उसकी पुत्री कंकू है उसके अलावा कोई वारिस जांच में नही आया। अधिवक्ता अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी।

अधिवक्ता अपीलान्ट नें बहस में तर्क दिया की अपीलग्रस्त आराजियात अपीलान्ट के बाप–दादाओं के समय की है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का दौलपुरा द्वारा अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये नामान्तकरण संख्या 43 सन् 58 दिनांक 29.05.1959 खोला गया जिसमें अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही किया गया। तत्कालिन ग्राम पंचायत मदारिया वर्तमान में दौलपुरा ने बिना अपीलान्ट को सूचना दिये तथा बिना सुने विधि विरूद्ध तरिके से इस नामान्तकरण को पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत को चाहिये था कि विधिवत्त रूप से पक्षकरान को सूचना पत्र जारी कर उनको सुना जाकर विधिवत्त रूप से नामान्तकरण पारित करती लेकिन ऐसा नही कर ग्राम पंचायत नें भारी भूल की है। अतः

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

उक्त नामान्तकरण जो तत्कालिन ग्राम पंचायत मदारिया नें स्वीकृत किया है उसे निरस्त कराया जावें तथा अपीलग्रस्त आराजियाम में माफिक हिस्से मृतक रामा पिता वरदा गुर्जर निवासी पीतामपुरा की संपूर्ण आराजियात में अपीलान्ट का नाम दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराये जावें।

हमनें अपील अपीलान्ट नकल नामान्तरण सं. 43 सन् 58 दिनांक 29.05.1959 ग्राम दौलपुराएव पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। उपर्युक्तानुसार स्पष्ट है कि नामान्तकरण पारित करते समय तत्कालीन ग्राम पंचायत मदारिया ने अपीलान्ट को बिना सुने व बिना सूचित किये नामान्तकरण पारित किया है जों विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत को चाहीये था की वह विधिवत्त सूचना पत्र जारी कर पक्षकरान को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करती लेकिन ऐसा नही किया गया है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन ग्राम मदारिया वर्तमान में दौलपुरा द्वारा पास्ति नामान्तकरण सं0 43 सन् 58 दिनांक 29.05.1959 निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तत्कालीन ग्राम मदारिया वर्तमान में दौलपुरा द्वारा खोले गये नामान्तकरण सं0 43 सन् 58 दिनांक 29.05.1959 को निरस्त किया जाता है एवं मृतक रामा पिता वरदा गुर्जर निवासी पीतामपुरा के हिस्से की संपूर्ण आराजियात में अपीलान्ट कंकू का नाम दर्ज करने का आदेश पास्ति किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़